फर्द अहकाम नियम 26

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

जयवीर गोदारा *बनाम* **सरकार**

मुकदमा अन्तर्गत धाराः– एल0आर0 136

मुकदमा नम्बरः– ...50.../2025

चकः– 4 जैड़

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अनिशिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तारीख जारी हुआ
25.04.2025	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी श्री जगदीश गोदारा द्वारा प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया एवम् प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर से रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसील(राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा जरिए कमांक 2958 दिनांक 25.04.2025 के रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। प्रार्थना पत्र 136 एलआर एक्टर पर प्रार्थी जयवीर गोदारा को सुना गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी के नाम से चक 1 बी छोटी, पटवार हल्का 4 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 27/24 के मुरब्बा न0 37 में खातेदारी कृषिभूमि दर्ज रिकार्ड है। उक्त जमाबंदी में प्रार्थी का नाम जयवीर सिंह पुत्र श्री मनफुलराम दर्ज है जबकि प्रार्थी के समस्त दस्तावेज में जयवीर गोदारा है। प्रार्थी के आधार कार्ड संख्या 8494-5377-7696 एवं पैन कार्ड संख्या– AFCPG2824H एवं राशन कार्ड संख्या 00760 में प्रार्थी का नाम जयवीर गोदारा दर्ज है। प्रार्थी उक्त जमाबंदी में जयवीर सिंह की जगह जयवीर गोदारा शुद्धिकरण करवाना चाहता है। जयवीर सिंह एवं जयवीर गोदारा दोनो एक ही व्यक्ति का नाम है किसी अन्य व्यक्ति का नाम नही है। भविष्य में उक्त नामों के सम्बध में कोई वाद विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी समस्त जिम्मेवारी प्रार्थी की होगी। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी उक्त जमाबंदी में जयवीर सिंह की जगह जयवीर गोदारा करने के आदेश प्रदान किये जावे। उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)	

Scanned with CamScanner

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अभिलिखित कथनों, प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों एवं तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जा सकता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जमाबंदी सम्वत् 2073-2076 चक 1 बी छोटी, पटवार हल्का 4 जैड, भू.अ.नि. चक महाराजका खाता संख्या 27/24 में जयवीर सिंह पुत्र मनफुलराम के स्थान पर जयवीर गोदारा पुत्र श्री मनफुलराम राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय की प्रति तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 25.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner